



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245123
CG-DL-E-12042023-245123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945

No. 15]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

का.नि.आ. 15 (अ).—सागर (Saugor) छावनी मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में स्थित है ;

और छावनी बोर्ड, सागर (Saugor) ने विद्यमान सागर (Saugor) छावनी के अंग्रेजी नाम को सागर (Sagar) छावनी में परिवर्तित करने का निश्चय किया है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 259 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी बोर्ड, सागर (Saugor) द्वारा यथा अवधारित, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, सागर (Saugor) छावनी के अंग्रेजी नाम को परिवर्तित करके सागर (Sagar) छावनी रखने की घोषणा करती है।

[फा. सं. 14(6)/2022- डी(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2023

S.R.O. 15(E).—Whereas, the Saugor Cantonment is located within the district of Sagar in the State of Madhya Pradesh;

And whereas, the Cantonment Board, Saugor has determined to alter the English name of the existing Saugor Cantonment to Sagar Cantonment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 259 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, as determined by the Cantonment Board, Saugor, hereby declares the change of English name of Saugor Cantonment to Sagar Cantonment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No.14(6)/2022-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.